<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/2715/2002/बीकानेर</u>

1 मुं0 लीछमा बेवा गुलाबाराम पुत्र रामचन्द्र जाट
2 मगा पुत्र गुलाबाराम दोयते रामचन्द्र
3 मंगलाराम पुत्र गुलाबाराम दोयते रामचन्द्र जाट निवासीयान बम्बूल तहसील बीकानेर जिला बीकानेर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 अमरी बेवा मनपतराम पुत्र रामचन्द्र (फौत) जरिये वारिसान
1/1 इमरताराम पुत्र मनपतराम जाति जाट निवासी तेलीवाडा बीकानेर
2 मांगलाल पुत्र गोरधनराम
3 शिवप्यारी पत्नी गोरधनराम जाति विश्नोई निवासीगण देसलसर तहसील नोखा
4 ओम प्रकाश चौधरी पुत्र नामालूम निवासी चौधरी खादी मंदिर के पास चौलीना कुआ बीकानेर
5 जितेन्द्र प9ुत्र ओम प्रकाश
6 मु0 सरोज पत्नी नाथूराम पुत्री ओमप्रकाश चौधरी
7 मु0 चंचल पुत्री ओमप्रकाश
8 नीलम पुत्री ओम प्रकाश
9 रामगोपाल पुत्र सुरजी बेवा बद्रीदास
10 रामेश्वर पुत्र सुरजी बेवा बद्रीदास
12 कमल पुत्र सुरजी बेवाबद्रीदास जाति जाट निवासी सोनगरी कुआ बीकानेर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री पूर्णाशंकर दशोरा वकील अपीलार्थीगण
श्री एन.के.गोयल वकील प्रत्यर्थी संख्या 1/1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.22.6.2018</u>

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी,

बीकानेर द्वारा अपील संख्या 14/96 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर (मु0) बीकानेर के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सह खातेदारी की ग्राम मान्याणा तहसील नोखा स्थित आराजी खसरा नम्बर 50, 64, 17, 148 कुल रकबा 212 बीघा 4 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2, 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/4 हिस्सा अविभाजित है। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खतोदारी की भूमि में से 1/6 हिस्सा बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर तत्पर है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजीयात को दीगर शख्स को नहीं बेचे, ना ही रहन, वसीयत, लीज, एग्रीमेन्ट या दीगर प्रकार से हस्तान्तरित करें। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 13.2.96 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.5.2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात के अपने 1/6 हिस्से की भूमि का बेचान करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित भूमि का बेचान करने पर आमादा है। विवादित आराजीयात सह खातेदारी की हैं तथा सह खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में बिना बंटवारा कराये वह अपना हिस्सा नहीं बेच सकती। बेचान से अनावश्यक विवादित बढेगा। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित भूमि की सह खातेदार काश्तकार है तथा उसका 1/6 हिस्सा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार एक सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोका जा सकता है। जिससे प्रत्यर्थी को उसका हिस्से का बेचान करने से नहीं रोका जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र के साथ विक्रय पत्र दिनांक 6.8.2012 की फोटोप्रति प्रस्तुत कर इसे अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 6.8.2012 की फोटोप्रति का अवलोकन किया। यह प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है। यह मात्र फोटोप्रति है जिन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।
पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है तथा हिस्से के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में कटौती करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सह खातेदार है जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, वाद खारिज किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने भी यह मानते हुए कि एक सह खातेदार अपने हिस्से तक की भूमि का उपयोग कर सकता है, उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, अपील खारिज की है।

8. यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सह खातदोर काश्तकार हैं तथा विवादित भूमि प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है। धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सह खातेदार को उसके हिस्से का उपयोग उपभोग करने से स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता। एक सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। जिससे हम यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य